उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 4714 / उ0सू0आ. / मु0सू0आ0 / 2007 दिनांक : 20 सितम्बर, 2007

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

सेवा में,

लोक प्राधिकारी,
(सलंग्न सूची के अनुसार)

विषय– वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की श्रेणी में चिन्हिकरण किये जाने की कार्यवाही।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा. मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोग स्तर पर 34 लोक प्राधिकारियों के साथ 01.05.2007 से 04.05.2007 तक बैठक आहूत की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आयोग ने अपने कार्यालय पत्रांक 2199 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2007 दिनांक 07.05.2007 को संबन्धित लोक प्राधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर विलम्बतम 20 मई, 2007 तक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था :

1. संबन्धित लोक प्राधिकारी सभी वित्त पोषित स्वैच्छित संगठनों का चिन्हींकरण करके सी.डी. के रूप में रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, 8 ए, बंगाली मौहल्ला लाईब्रेरी रोड, करनपुर देहरादून को 20.05.2007 तक उपलब्ध करायेंगे।
2. रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एण्ड चिट्स द्वारा सभी वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में संकलित सूचना मण्डलवार, जनपदवार, वर्षवार संकलित कर एक सी.डी. के रूप में आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. 34 लोक प्राधिकारियों में से केवल 11 लोक प्राधिकारियों द्वारा ही निबंधक फर्म सोसायटी एवं चिट्स को सूचना उपलब्ध करायी है।

इस स्थिति को मा. मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने गम्भीरता से लिया है। आयोग ने अपेक्षा की है कि दिनांक 25.09.2007 तक प्रत्येक दशा में वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में सूचना सी.डी. के रूप में निबंधक फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स को उपलब्ध करा दें।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि निबंधक फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, 8–ए, बंगाली मोहल्ला, ई.सी. रोड, देहरादून को उनके पत्रांक 1741 / फ0सो0चि0 / 2007 दिनांक 20.08.2007 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि जिन 11 लोक प्राधिकारियों द्वारा वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों की प्राप्त सूचना सी.डी. में संरक्षित कर आयोग को जो प्रेषित की गयी है वह विभागवार, मण्डलवार, जनपदवार वर्षवार के रूप में संकलित नहीं की गयी है। कृपया तदानुसार सूचना संकलित करके विलम्बतम 25.09.2007 तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।